

राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 23/19

आर सी एम एस नं0 2019/00057

तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

:-प्रार्थी

बनाम

- 1 श्रीपाल पुत्र भोला (फौत)
- 1/1 राजन्ति वेवा श्रीपाल
- 1/2 मदन पुत्र श्रीपाल
- 1/3 हरकेश पुत्र श्रीपाल
- 1/4 रणजीत पुत्र श्रीपाल
- 1/5 भगवानसिंह पुत्र श्रीपाल
- 1/6 कमला पुत्री श्रीपाल
- 1/7 रामनिरी पुत्री श्रीपाल

समस्त जातियान मीना निवासीयान सुजानपुरा
तहसील टोडाभीम जिला करौली

2 एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. शाखा टोडाभीम

:- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:- 1 श्री रामभरोसी गुप्ता वकील अप्रार्थी नं.2
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार

निर्णय

दिनांक:- 26.02.2020

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 289 रकवा 0.06 है0 ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 204/6, 204 कुल कित्ता 2 कुल रकवा 13 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाला के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2032 से 35 के खाता संख्या 1 मे यह भूमि नियमन होकर भोला पुत्र नाथ्या के खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 204 का नवीन खसरा नम्बर 289 रकवा 0.06 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नहीं होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 289 रकवा 0.06 है0 वाके ग्राम सुजानपुरा को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नाला को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, मिसल जमाबंदी सम्बत 2032 से 35 मिलान क्षेत्रफल, हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 2074 तक खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमे अप्रार्थीयान नं0 1 विधिवत तामील होने पर उपस्थित नहीं हुआ उसके खिलाफ एकपक्षीय

कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी नं. 2 जरिये वकालान्तन उपस्थित आया और जबाव पेश कर निवेदन किया है कि खातेदार द्वारा इस आराजी पर बैंक से ऋण लिया गया है जब तक ऋण चुकता नहीं हो तब तक प्रार्थी की भूमि को खातेदारी में ही रखा जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज रखा जावे।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ के अनुसार सही पेश किया गया है जिसकी ताहीद में साविक व हाल रिकॉर्ड सामिल पत्रावली है जिसमें भूमि गैर मु. नाली थी जिसे नियमन/आवंटन गलत तरीके से किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी नं. 2 ने अपने बहस कथन में कहा है कि अप्रार्थीयान नं. 1 के पिता श्रीपाल को बैंक से ऋण दिया गया था जिसका चुकती अभी तक नहीं हुआ है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी नं. 2 एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बन्त 2032 से 34 के खाता संख्या 1 में आराजी खसरा नं. 289 रकवा 0.06 है 0 किस्म से गै 0 मु 0 नाला के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है जिसे नामान्तरण संख्या 143 दिनांक 06.05.1977 से 5 विस्वा भूमि आवंटन/ नियमन से खातेदारी में भोला पुत्र नाथ्या के नाम दर्ज होकर खातेदारी में दर्ज हो गई है अब वर्तमान में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। भूमि जमाबंदी में जिम्मन नं. 1 में जल मग्न होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालब, नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है जो निरस्त योग्य है। डी 0 बी 0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया है कि All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 289 रकवा 0.06 है 0 ग्राम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बन्त 2032 से 2034 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

